दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 12 जनवरी,2021 को पूर्वांहन 12:00 बजे, वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह,

वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.

2. श्री शैलेन्द्र शर्मा,

वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.

3. श्री कामरान रिज़वी,

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

4. श्री विजेंद्र गुप्ता, विधायक

5. श्री ओ. पी. शर्मा, विधायक

सचिव

श्री डी सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि. वि. प्रा.

विशिष्ट आमंत्रिती

1. श्रीमती रेनू शर्मा

अपर मुख्य सचिव (यू डी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

सदस्य,(प्रशासन एवं भूमि प्रबंधन), दि. वि. प्रा.

3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी

प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भूदृश्यांकन , आवास एवं उद्यान), दि. वि. प्रा.

4. श्री जे पी अग्रवाल

सचिव, (एल एवं बी), रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

5. श्री ज्ञानेश भारती

आयुक्त,दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम

माननीय उपराज्यपाल के सचिव

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला

माननीय उपराज्यपाल के सचिव

2. श्रीमती तन्वी गर्ग

माननीय उपराज्यपाल के विशिष्ट सचिव

3. श्री अनूप ठाकुर

माननीय उपराज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को नव वर्ष की शुभकामनायें दीं और उनका स्वागत किया।

मद संख्या.01/2021

दिनांक 23.12.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(6)2020/एम सी/डी डी ए

प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री सोमनाथ भारती द्वारा दिनांक 23.12.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्तावित संशोधनों पर उनके

ईमेल दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से चर्चा की गई और उसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 23.12.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

<u>मद संख्या.02/2021</u>

दिनांक 23.12.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

एफ.2(6)2020/एम सी /डी डी ए /पार्ट.

23.12.2020 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नोट किया गया:

<u>श्री विजेंदर गुप्ता:</u>

i) होटल में अनुमेय गतिविधियों में प्रस्तावित संशोधन को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.09.2018 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था और जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया गया था। हालांकि, उसके बाद, जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखा गया था।

ii) केवल 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कार्यों के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन आयोजित करने के बजाय, यह यादृच्छिक आधार पर किया जाना चाहिए और मामले में सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

iii) दि. वि. प्रा. को मालवीय नगर में शमशान घाट से संबंधित मामले के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहिए।

iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए अपने सामुदायिक हॉलों के उपयोग में तेजी लानी चाहिए।

<u>श्री ओ पी शर्मा</u>

i) होटलों के लिए अतिरिक्त एफएआर की दरों को युक्तिसंगत बनाने के मामले में तेजी लाई

जाए।

ii) कोविड-19 विलंब के कारण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में दि. वि. प्रा. की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा सुझाए गए समय के विस्तार पर विचार किया जाए।

iii) हालांकि, बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आवंटित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया है और सतर्कता जांच भी की गई है, लेकिन मामले का कोई समाधान नहीं हुआ है। बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन के पक्ष में निष्पादित लीज होल्ड के निर्धारण की समीक्षा की जाए और कोर्ट केस को वापस लेने पर विचार किया जाए।

<u>मद संख्या 03/2021</u>

योजना क्षेत्र-जे में आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) अस्पताल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगभग 5.76 एकड़ (2.33 हेक्टेयर) भूमि के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक' में बदलने का प्रस्ताव (पीएस-1)।

एफ.20(02)2005/एमपी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए मामले को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

<u>मद संख्या 04/2021</u>

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अंतिम अधिसूचना के लिए योजना क्षेत्र-एफ के अंतर्गत आने वाले जहांपनाह सिटी फोरेस्ट में धार्मिक उद्देश्य के लिए 400 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को 'मनोरंजनात्मक' से 'सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक' में बदलने के संबंध में प्रस्ताव।एफ 20(05)2020/एम पी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामला दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के अनुमोदन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

<u>मद संख्या 05/2021</u>

तालिका 3.3 में संशोधन: सीवेज पंपिंग स्टेशन और एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के प्रावधानों के संबंध में दि. मु. यो.-2021 में अध्याय 3.0 दिल्ली शहरी क्षेत्र 2021 में शहरी विकास का पदानुक्रम ।

ई फ़ाइल संख्या :प्लानिंग /एम पी /0013/2020/एफ -20/-ए डी (प्लानिंग -एम पी और डी सी)-III

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के तहत आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या 06/2021</u>

ट्रांसिट ओरिएंडटेड डेवलपमेंट(टी ओ डी) के सम्बन्ध में दि. मु. यो.-2021में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(7)2015/एम पी

एजेंडा मद में निहित विभिन्न अध्यायों दि. मु. यो.-2021 में टीओडी से संबंधित खंडों को जोड़ने और हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए मामले को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

<u>मद संख्या 07/2021</u>

एसडीएमसी द्वारा मैदानगढ़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (सी एंड डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए) की स्थापना के लिए 4.309 एकड़ (लगभग) के क्षेत्र के भूमि उपयोग को

'आवासीय' से 'उपयोगिता' में बदलने का प्रस्ताव {यू4-ठोस अपशिष्ट (निर्माण और निर्माण गिराना) प्रबंधन सुविधा}'।

एफ.3(12)2014/एमपी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। तथापि, सुविधा के लिए वैकल्पिक भूमि की पहचान एसडीएमसी के परामर्श से प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए।

मद संख्या 08/2021

30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले सामुदायिक केंद्रों में ईंधन स्टेशनों-सीएनजी की स्थापना के लिए विकास नियंत्रण मानदंड में संशोधन के संबंध में।

ई-फाइल संख्या प्लानिंग /एम पी /0003/2020/एफ -7

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। तथापि, ईवी का प्रावधान सीएनजी के साथ किया जा सकता है।

मद संख्या 09/2021

दि. मु. यो.-2021में "वेयरहाउस/वेयरहाउसिंग योजनाओं" के लिए दि. मु. यो.-2021 में संशोधन के संबंध में।

फाइल संख्या एफ.3 (84)2010-एमपी

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए मामला आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को 'अग्रेषित' किया जाए।

मद संख्या 10/2021

कुछ पात्र मामलों में विभिन्न दि.वि.प्रा.आवास योजनाओं के योजना ब्रोशर के अनुसार गलत प्रस्तुतिकरण या तथ्यों को छिपाने के लिए आवंटन रद्द करने और जमा राशि को जब्त करने

के संबंध में प्रावधानों में छूट।

फाइल संख्या एल/353(1055)2018/डीडीएवाई17/आरओ

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 11/2021

अतिरिक्त एफएआर की मौजूदा दरों को लागू करने और 30 जून, 2021 तक उपयोग रूपांतरण के लिए समय का विस्तार।

फाइल संख्या एफ 2(14)2020-21/एओ(पी)/डीडीए

कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि यह अंतिम विस्तार और पट्टेदारों/स्वामियों के लिए मौजूदा दरों पर योजना का लाभ उठाने का अंतिम अवसर होगा। मामला दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत दि. वि. प्रा. द्वारा अधिसूचना से पहले अनुमोदन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दें:

श्री विजेंदर गुप्ता

i) चूंकि विकास सदन में जनसुनवाई रोक दी गई है और प्रवेश पास जारी नहीं किए जा रहे हैं, जनता को अपने मुद्दों को हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि संबंधित विभागों से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है। स्वागत समारोह में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जहां से जनता संबंधित अधिकारियों से बात कर सके और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए प्रवेश कर सके।

ii) पीएम-उदय योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को समयबद्ध तरीके से संसाधित किया जाना

चाहिए।

iii) सेक्टर-18, सूरज पार्क, रोहिणी में आरडब्ल्यूए परिसर में स्थापित पीएम-उदय केंद्र को आरडब्ल्यूए को परिसर की आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

श्री ओ पी शर्मा

i) गाजीपुर में प्रस्तावित पेपर मार्केट अनुपयुक्त साइट-स्थितियों के कारण अभी तक कार्यात्मक नहीं है। आवंटित प्लाटों के वैकल्पिक उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए।

ii) दि. वि. प्रा.-परियोजनाओं की कारीगरी की गुणवत्ता खराब है। विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं करने वाली एजेंसियों को काली सूची में डालने पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती

बैठक में सोमनाथ भारती मौजूद नहीं थे। हालाँकि, उनके द्वारा उनके ईमेल दिनांक 06.01.2021 के माध्यम से दिए गए सुझावों को कार्यवृत्त में सुधार के लिए अन्य मुददों के रूप में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

i) कुम्हार बस्ती में झुग्गियों को चल रहे लागू आवासीय परियोजनाओं में से एक के तहत आवास प्रदान किया जाएगा और फिर कुम्हार बस्ती में प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र के लिए एक पहुंच मार्ग की सुविधा के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।

ii) अधचीनी में बारात घर के पहुँच मार्ग के एक हिस्से पर कब्जा करने वाले को लागू कानूनों और प्रतिपूरक नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

iii) बेगमपुर में खसरा संख्या 110 के संबंध में यथास्थिति नहीं बनाए रखी जा रही है और स्थल पर छद्म रूप से निर्माण कार्य चल रहा है।

iv) अर्जुन नगर में उपलब्ध 2.84 एकड़ दि वि प्रा भूमि सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे भूमिगत

पार्किंग, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र, महिला मनोरंजन केंद्र, बच्चों के खेल का मैदान, सामुदायिक केंद्र, बारात घर आदि प्रदान करने के लिए विकसित की जानी चाहिए।

v) गौतम नगर में 4.00 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के दिल्ली विकास प्राधिकरण के लंबे समय से लंबित वादे को कम से कम वर्तमान में उपलब्ध भूमि की सीमा तक सामुदायिक केंद्र, बारात घर, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र, महिला मनोरंजन केंद्र, आदि बनाने के लिए निष्पादित किया जाना चाहिए।

vi) एपीजे स्कूल, साकेत और दि. वि. प्रा. के बीच 1.5 एकड़ भूमि के बीच लंबे समय से लंबित विवाद को मालवीय नगर श्मशान घाट द्वारा 1952 से उपयोग में आने वाली दि. वि. प्रा. की भूमि के मामलों से जोड़ा जाना चाहिए और दि.वि.प्रा. द्वारा साकेत कोर्ट के आदेश दिनांक 02.03.2020 को प्राथमिकता पर अपील की जानी चाहिए। वर्तमान में मालवीय नगर श्मशान घाट के कब्जे वाली भूमि को एसडीएमसी को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए कब्जा नियमित किया जा सके।

vii) श्री अजय दत्त, माननीय विधायक, डॉ. अंबेडकर नगर द्वारा उत्सव मैदान के निर्माण के चल रहे कार्य पर उठाए गए कुछ चिंताओं पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए और तब तक यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।